

प्रारूप-9

नियम 8(2) देखिये

संख्या 00016/2020-2021

दिनांक 14/05/2020



## सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन )

नवीनीकरण संख्या: R/GOR/00037  
/2020-2021

पत्रावली संख्या: G 37426      दिनांक: 2004-2005

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय समिति, रामदत्तपुर जनपद गोरखपुर उप्र०, गोरखपुर, 273001 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 1310/2004-2005 दिनांक- 30/03/2005 को दिनांक-30/03/2020 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।  
1150 रुपये की नवीनीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।



Digitally Signed By

(SUNIL KUMAR SRIVASTAVA)


5DEC57541F905853D493F4A1F53C818FAE1D680B

Date: 14/05/2020 2:41:32 PM, Location: Gorakhpur.

जारी करने का दिनांक-14/05/2020

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,

उत्तर प्रदेश।



## सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन )

नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र  
2020-2021



Digitally Signed By

(SUNIL KUMAR SRIVASTAVA)

5DEC57541F905853D493F4A1F53C818FAE1D680B

Date: 14/05/2020 2:41:32 PM, Location: Gorakhpur.

जरी करने का दिनांक-14/05/2020

सोसाइटी के रजिस्ट्रर

उत्तर प्रदेश

भारतीय नौर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

58AB 474953

“इ अनंत स्वाप धर ... महाराष्ट्रा प्रताप भट्टला महायेद्धालप भमित  
रामदरतपुद्राहर  
विला ... नैरास्तुरु काइल न० ... जोठ ३७४२६  
शहरल - परम के साथ संभाल



महायेद्धाल  
ज्ञान सोसाइटी न तथा चिठ्ठ  
१५ अक्टूबर १९१२

भारतीय नौर व्यायिक

भारत

दस  
रुपये

₹.10

TEN  
RUPEES

Rs.10

प्रथमव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

58AB 474954

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

वह इनकल स्थाप एवं ... बहुप्राचा पुताप भाईता भद्रप्रदेश-नामांकित  
अस्ति ।  
दिल्ली गोप्तव्य के नू... जोड़े ३७५२८  
के साथ संबंध  
किए मात्र हैं।



राजस्व दर्शकाल

१९१२

# महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय

## स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम
2. संस्था का पता
3. जानकारी
4. संस्था का उद्देश्य

महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय

भारतसभा-प्रताप-महिला-महाविद्यालय,  
रामदल्लपुर, शहर गोरखपुर।

उद्देश्य  
(क) कला, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, विधि, फार्मसी  
शारीरिक शिक्षा आदि और रोजगार परक  
अच्छे विषयों की समन्वित एवं समग्र  
शिक्षा देना।

(ख) विशिष्ट प्रशिक्षण एवं प्रसार कार्य के  
के लिये सुविधा प्रदान करना।

(ग) प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय का निर्माण  
एवं रखरखाव करना।

(घ) मातृभूमि की सेवायें के लिये ईमानदार  
एवं सुयोग्य नागरिकों को तैयार करना।

(ङ) महाविद्यालय के हित में व्यविहारों तथा  
संस्थाओं से चल-अचल सम्पत्ति अधित  
करना। अट, उपहार सा अनुदान आदि  
प्राप्त करना।

(च) महाविद्यालय के विकास के लिये अन्य  
सभी सम्भव साधनों एवं उपायों से  
धोषित उद्देश्यों को प्राप्त करना।



१५००५  
प्रमोद शुभा

१५००५

१५००५

महाविद्यालय

दिल्ली राज्य विश्वविद्यालय  
गोरखपुर

२५००५ शुभा

१५००५

१५००५ गवाही

१५००५

यहां विद्यालय की प्रवन्ध समिति के पदाधिकारियों एवं संस्थाओं के नाम, पते तथा व्यवसाय जिन पर शियर्मों—परिनियमों के अनुसार सम्बन्धित प्रवन्धन का उत्तरदायित्व है।

क्र०सं०	नाम / पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज शिष्य-बहुगलीन श्री महन्त दिग्विजयनाथजी	श्री गोरखनाथ मन्दिर, गोरखपुर।	अध्यक्ष	धर्मचार्य
2.	प्र० यू०पी० सिंह पुत्र- श्रीराम नरेश सिंह	राजेन्द्रनगर, गोरखपुर।	उपाध्यक्ष	पूर्व कुलपति
3.	श्री योगी आदित्यनाथ जी शिष्य- श्री महन्त अवेद्यनाथ जी	श्री गोरखनाथ मन्दिर, गोरखपुर।	सचिव/प्रबन्धक	धर्मचार्य
4.	श्री प्रमोद चौधरी पुत्रजी चौधरी रामलखन चन्द	पहाड़पुर-गोरखपुर।	सदस्य	कृषि
5.	श्री धर्मन्दनाथ वर्मा पुत्र- श्री लक्ष्मी शंकर वर्मा	बेतियाहाता-गोरखपुर।	सदरय	एडवोकेट
6.	श्री पारसनाथ मिश्रा पुत्र- श्री लल्लन मिश्रा	विलन्दपुर-गोरखपुर।	सदस्य	एडवोकेट
7.	श्री प्यारे मोहन सरकार पुत्र- श्री गुरु प्रसाद सरकार	दुर्गाबाड़ी-गोरखपुर।	सदस्य	एडवोकेट
8.	श्री गोरक्ष प्रताप सिंह पुत्र- श्री बलदाऊ सिंह	नथगलपुर-गोरखपुर।	सदस्य	कृषि
9.	श्री योगी कमलनाथ शिष्य-की बहुगलीन बाबा नौमीनाथ	श्री गोरखनाथ मन्दिर, गोरखपुर।	सदस्य	धर्मचार्य
10.	क० नरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र- श्री बृजराज सिंह	गोलघर-गोरखपुर।	सदस्य	शिक्षक
11.	श्री रामजन्म सिंह पुत्र- श्री भगुनाथ सिंह श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव पुत्र- श्री एस०एन० लाल	एम०पी० कालेज, गोरखपुर। बक्शीपुर, गोरखपुर।	सदस्य	शिक्षक

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता गण उपर्युक्त नाम से एक संस्था बनाकर उपरोक्त स्मृति-पत्र के अनुसार रजिस्ट्रेशन एकट सम्बन्धी ४५० के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं।

14.3-05

दिनांक

सत्य - प्रतिलिपि

कांगड़ा बाजार

213-15

सहायक  
सोसाइटी नं १८८५  
१९१२

गुरुवार को बैठक  
मीले दिल्ली  
दिल्ली दिल्ली

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

संस्था की सदस्यता द्वारा समिति  
सदस्यता की समिति।

संस्था की सदस्यता द्वारा समिति।

4. संस्था की सदस्यता द्वारा सदस्यों के वर्ग:- अधोलिखित विवरण के अनुसार संस्था के सदस्यों के कुल चार वर्ग होंगे।

(क) आजीवन सदस्य:-

: जो व्यक्ति संस्था को अचल सम्पत्ति या नगद मुबलिकः 500/- रु० निःस्वार्थ भाव से दान स्वरूप देंगे वे समिति की स्वीकृति पर संस्था के आजीवन सदस्य समझे जायेंगे।

(ख) विशिष्ट सदस्य:-

: संस्था के लिये उपयोगी, प्रभावशाली ऐसे कर्मठ व्यक्ति जिन्हें समिति नामित करेगी संस्था के विशिष्ट सदस्य समझे जायेंगे।

(ग) सामान्य सदस्य:-

: जो व्यक्ति निःस्वार्थ भाव से संस्था को प्रतिवर्ष 50/- रु० देगा समिति की स्वीकृति पर वह संस्था का सामान्य सदस्य समझा जायेगा।

(घ) प्रोत्साहक सदस्य:-

: ऐसे प्रमुख समाजसेवी जो संस्था के हितार्थ सर्वदा प्रेरणा तथा मार्गदर्शन दे सकते हैं उन्हें समिति की स्वीकृति होने पर रु 11/- मात्र शुल्क लेकर प्रोत्साहक सदस्य बनाया जायेगा।

5. सदस्यता की समाप्ति:- अधोलिखित स्थितियों में समिति के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जायेगी यदि-



- (क) सदस्य का स्वर्गवास हो जाता है।
- (ख) वह पांगल, दिवालिया, शारीरिक दृष्टि से असमर्थ हो जाता है।
- (ग) वह न्यायालय द्वारा दण्डित हो जाता है।
- (घ) वह सदस्यता शुल्क जमा नहीं करता है।
- (ड) त्याग-पत्र दे देता है और वह स्वीकृत होता है।
- (च) वह प्रवन्धकारिणी समिति द्वारा 2/3 बहुमत से निकाल दिया जाता है।

6. संस्था के अंग

- (1) साधारण सभा।
- (2) प्रवन्धकारिणी समिति।

..... 2/-

प्रभुलाल

प्रभुलाल

210/-

प्रभुलाल  
प्रभुलाल

210/-

प्रभुलाल

के दुनिया का सकती है।

(ग) सूचना अवधि:-

साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पहले सभी पदाधिकारियों/सदस्यों को दी जायेगी। विशेष बैठक की सूचना समयानुसार 7 दिन पूर्व सभी लोगों को दी जायेगी।

(घ) गणपूर्ति:-

साधारण सभा की गणपूर्ति 2/3 सदस्यों की उपस्थिति पर होगी जिससे सभा का कोरम पूरा माना जायेगा।

(ड) साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य

- (1) प्रवन्धकारिणी समिति का चुनाव करना।
- (2) आगामी आय-व्यय का बजट पास करना।
- (3) गत वर्ष के आय-व्यय की स्वीकृति देना।
- (4) संस्था की नियमावली में कोई भी संशोधन 2/3 बहुमत से पास करना।
- (5) आय-व्यय का निरीक्षक नियुक्त करना।
- (6) साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य होगा। जो गांद्धी भूजें होगा।

2. प्रवन्धकारिणी समिति:-



(क) गठन:-

(ख) बैठक:-

(ग) सूचना अवधि:-

साधारण सभा द्वारा प्रवन्धकारिणी समिति का निर्वाचन किया जायेगा। जिसमें 3 पदाधिकारी 9 सदस्य हों। कुल रुपये 12 होंगी।

प्रवन्धकारिणी समिति की बैठक वर्ष में 2 बार होगी। विशेष आवश्यकतानुसार बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।

प्रवन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 2 दिन पूर्व सभी पदाधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से हाथों-हाथ या फिर यूपी०सी०/पंजीकृत डाक से पदाधिकारियों को दी जायेगी।

..... 3/-

प्रस्तोता कुमार

दामोदर नाथ

साधारण सभा

20 जने 21 कुमार नाथ

U.P.S.C.

(ध) गणपूर्ति:-

प्रवन्धकारिणी समिति की 2/3 सदस्यों की उपस्थिति से गणपूर्ति मानी जायेगी। लेकिन कोरम के अभाव में 1/2 सदस्यों पर भी सभा सम्पन्न मानी जायेगी।

(ड) रिक्त स्थानों की पूर्ति:-

प्रवन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा द्वारा बहुमत के आधार पर की जायेगी।

७. प्रवन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य।

(1) वार्षिक रिपोर्ट एवं बजट तैयार करना एवं पास करना।

(2) संशोधन प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पास करना।

(3) संस्था की उन्नति एवं विकास हेतु आवश्यक कार्य करना।

(4) कर्मचारियों का चयन एवं आवश्यकतानुसार उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करना।

(5) आईटर की नियुक्ति करना।

(6) संस्था के हित के लिये सदस्यों को बाहर भेजना एवं बाहर से बुलाना।

(7) प्रवन्धकारिणी समिति के सदस्यों का कार्यकाल

5 वर्ष के लिये होगा।

८. प्रवन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य:-

(१) अध्यक्ष:- संस्था / साधारण सभा का अध्यक्ष ही प्रवन्धकारिणी समिति का भी अध्यक्ष होगा।

अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य:-

(1) संस्था के बैठकों का सचापतित छर्टा।

(2) बैठकों में समान नत खाने पर निर्मांडक नह देना।

(3) समिति की बैठक के लिये दिन एवं स्थान निश्चित करना तथा बैठक स्थगित करना इसके साथ ही साथ संस्था के हत के अन्य कार्य करना।

(4) अध्यक्ष सम्पूर्ण सोसाइटी को सुचारू रूप से चलाने का जिम्मेदार होगा तथा समय-समय पर सोसाइटी के हर सदस्य / पदाधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण करेगा ताकि सोसाइटी सही रूप से चल सके।

(5) सोसाइटी के विरुद्ध होने वाले सभी मुकदमों की पैरवी करना / कराना।

(6) सोसाइटी की ओर से समस्त कागजात, महत्वपूर्ण बिलों एवं भारत सरकार / राज्य सरकार में



प्रमोद कुमार

दिनांक

प्रमोद कुमार ..... 4/  
ज्ञान प्रोत्साहन संस्था  
2015  
प्रमोद कुमार

(4)

अनुदान हेतु प्रस्तावों को भेजना एवं उस पर हस्ताक्षर करना।

(7) अध्यक्ष विशेषाधिकार का भी प्रयोग कर सकता है।

(2) उपाध्यक्ष:-

(3) रसीदबाज (प्रबंधक) ✓

(4) सहमंत्री ✓

(5) कोषाध्यक्ष: ✓

अध्यक्ष के अनुपस्थिति में उसके सभी अधिकार का प्रयोग करना।

(1) प्रत्येक बैठक की अध्यक्ष के निर्देशानुसार व्यवस्था एवं कार्यवाही करना।

(2) रसीद एवं वहियों का निरीक्षण एवं रखरखाव करना।

(3) संस्था की सभी बैठकों की कार्यवाही को लिखना एवं अध्यक्ष से प्रमाणित कराना।

प्रौद्योगिकी की अनुपस्थिति में सहमंत्री उसके सभी अधिकारों व कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

(1) आय-व्यय का लेखा जोखा तैयार करना।

(2) अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित बिलों के भुगतान की व्यवस्था करना।

(3) अध्यक्ष के आदेशानुसार समस्त धन किसी क्षेत्रीय बैंक, राष्ट्रीय बैंक, पोस्ट आफिस में जमा करना। ✓

9. संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया:- संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया साधारण समा के सभी सदस्यों के 2/3 बहुमत पर किया जायेगा।

10. संस्था का कोष:-

संस्था का कोष किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय बैंक या पोस्ट आफिस अथवा किसी स्थानीय मान्यता प्राप्त बैंक में संस्था के नाम खाता खोलकर उसमें बना किया जायेगा। जिसका संचालन अध्यक्ष के हस्ताक्षर द्वारा होया। बैंक की समस्त बौपचारिकाएँ पूर्ण करने का अधिकार अध्यक्ष को ही होता।

11. संस्था के आय-व्यय के लेखा परीक्षक (आडीटर):- संस्था के आय-व्यय का आडीट साधारण समा द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त आडीटर से कराया जायेगा।

12. संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व संस्था द्वारा उसके विरुद्ध होने वाले मुकदमों की पैरवी अध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

13. संस्था के अभिलेख:-

- (1) सदस्यता रजिस्टर
  - (2) सूचना रजिस्टर
  - (3) कार्यधारी रजिस्टर
  - (4) आय-व्यय पंजिका
  - (5) कैश बुक आदि
- 30/06/2018*

..... 5/-

प्रौद्योगिकी

मुख्य

प्रौद्योगिकी

राजेश कुमार राजीवान्न

प्रियंका

(5)

14. संस्था के विघटन और विवादित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिकारी की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।
15. संस्था की अपनी एक सील (मुहर) होगी जिसका सभी पत्रों/अभिलेखों में प्रयोग किया जायेगा।



दिनांक - 14.3.05

हस्ताक्षर

प्राप्त होने पर आ

०२८ / M. S. S. S. 2012

मुख्यमन्त्री

राजेश कुमार शर्मा

मुख्यमन्त्री

### सत्य - प्रतिलिपि

सहायक सचिव  
सोम डटोन तथा चिट्ठा  
न० प्र० पोरब्रह्मपुर  
०७/११/१२

प्रतिलिपि कर्ता ...  
मिलान कर्ता ... ०७/११/१२

महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय, रामदल्लापुर, गोरखपुर की प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों की सूची  
वर्ष 2020

क्र.सं	नाम/पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	प्रौ० यू०पी० सिंह पुत्र-स्व० रामनरेश सिंह	राजेन्द्रनगर, गोरखपुर	अध्यक्ष	पूर्व कुलपति
2.	श्री धर्मेन्द्रनाथ वर्मा पुत्र- स्व० लक्ष्मी शंकर वर्मा	बेतियाहाता, गोरखपुर	उपाध्यक्ष	अधिवक्ता
3.	महन्त योगी आदित्यनाथ जी शिष्य-ब्रह्मलीन महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज	श्री गोरखनाथ मन्दिर, गोरखपुर	मंत्री/ प्रबन्धक	धर्माचार्य
4.	श्री प्रमोद कुमार चौधरी पुत्र-चौधरी रामलखन चन्द	पहाड़पुर-गोरखपुर	सदस्य	कृषि
5.	योगी कमलनाथ जी शिष्य-ब्रह्मलीन जाबा नौमीनाथ जी	श्री गोरखनाथ मन्दिर, गोरखपुर	सदस्य	धर्माचार्य
6.	श्री कुशलनाथ मिश्रा पुत्र- स्व० पारसनाथ मिश्रा	विलन्दपुर, गोरखपुर	सदस्य	नौकरी
7.	श्री राजेश मोहन सरकार पुत्र-स्व० प्यारे मोहन सरकार	दुर्गाबाड़ी, गोरखपुर	सदस्य	अधिवक्ता
8.	श्री गोरक्ष प्रताप सिंह पुत्र- स्व० बलदाऊ सिंह	नथमलपुर, गोरखपुर	सदस्य	कृषि
9.	योगी त्यागीनाथ जी शिष्य-योगी लङ्घनाथ जी	चौक बाजार, महराजगंज	सदस्य	धर्माचार्य
10.	श्री राम जन्म सिंह पुत्र- स्व० भृगुनाथ सिंह	महेवा चुंगी, निकट-फलमण्डी, गोरखपुर	सदस्य	पूर्व प्रधानाचार्य
11.	श्री द्वार्गेंका तिवारी पुत्र- स्व० नन्दू तिवारी	नथमलपुर, गोरखपुर	सदस्य	सेवानिवृत्त शिक्षक

कृति ग्रन्थ

मुख्य सचिव  
द्वार्गेंका तिवारी